निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक III

कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट

कार्पोरेट शासन का दर्शन

कार्पोरेट शासन एक आवश्यक प्रणाली है जो कंपनी के प्रबंधन का मार्गदर्शन करता है और शेयरधारकों व अन्य के सर्वोत्तम हित में इसके क्रिया–कलापों को हैंडल करने के निर्देश देता है। कार्पोरेट शासन जिसका उद्देश्य प्रबंधन की स्वच्छता, पारदर्शिता और एकता है, यह मात्र विधिक बाध्यता नहीं है बल्कि एक जीवन शैली है जो कंपनी के प्रति निवेशकों को प्रेरित करने और उनके विश्वास तथा प्रतिबद्धता को बढ़ाने में मदद करता है।

स्टॉक एक्सचेंजों के सूचीबद्ध करार का 49वाँ खण्ड जो कार्पोरेट शासन से संबंधित है और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों हेतु कार्पोरेट शासन के मार्ग–निर्देशों में पारदर्शिता, विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, दायित्व और नैतिक तथा व्यावसायिक आचरण पर दृढ़ता से बल का उच्चतम मानक प्राप्त करना उसका उद्देश्य है।

एसटीसी विश्वास करता है कि कार्पोरेट शासन, कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में हर प्रकार की कुशलता के लिए पूर्वापेक्षा है जो इसके सभी शेयरधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए आवश्यक है। यह ऐसे कार्पोरेट अभ्यास को ग्रहण करने का प्रयास करता है जो पारदर्शिता और उचित प्रकटीकरण पर आधारित है तथा प्रमुख पदों पर व्यक्तियों द्वारा निवेशकों, ग्राहकों, लेनदारों, कर्मचारियों और बड़े स्तर पर समाज को लाभ पहुँचाने की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है।

कंपनी अच्छी कार्पोरेट प्रैक्टिस का पालन करती है और उसे सुधारने का लगातार प्रयास करती है।

1. निदेशक मंडल

1.1 कंपनी, एक निदेशक मंडल द्वारा संचालित है जो रणनीतियों, नीतियों का प्रतिपादन करता है और समय–समय पर इसके निष्पादन की समीक्षा करता है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और पाँच पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् निदेशक (वित्त), तीन निदेशक (विपणन) और निदेशक (कार्मिक) बोर्ड के समग्र पर्यवेक्षण, नियंत्रण और मार्गदर्शन में कंपनी के व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं। तथापि, वर्तमान में निदेशक (विपणन) का एक पद खाली है।

1.2 संरचना

एसटीसी के सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके सभी निदेशकों की नियुक्ति/नामांकन भारत के राष्ट्रपति द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। कंपनी की एसोसिएशन के अनुच्छेद अनुबद्ध करते हैं कि निदेशकों की संख्या 4 से कम और 16 से अधिक नहीं होगी। 31 मार्च 2011 को बोर्ड में पाँच पूर्णकालिक निदेशकों सहित नौ निदेशक थे जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, दो अंशकालिक सरकारी निदेशक जो सरकार के नामिती हैं तथा दो अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अलावा सभी निदेशक क्रमावर्तन से सेवानिवृत्त होंगे। प्रत्येक वर्ष एक तिहाई निदेशक सेवा–निवृत्त होते हैं और पात्र होने पर पुनर्नियुक्ति के योग्य होते हैं।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यरत निदेशकों के अलावा जो निदेशकों की परिलब्धि ग्रहण करते हैं, कंपनी से इसके प्रमोटरों या इसकी अनुषंगी से उनका कोई भौतिक आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं होता जो बोर्ड के निर्णय के अनुसार निदेशकों के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं।

1.3 बोर्ड की बैठकें

बोर्ड की बैठकें प्रायः कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होती हैं और बोर्ड के अध्यक्ष की मंजूरी के बाद उचित अग्रिम सूचना देकर आयोजित की जाती हैं। एसटीसी बोर्ड तिमाही में नियमित रूप से कम से कम एक बार बैठक करता है। बोर्ड की बैठकें ढांचागत कार्यसूची से नियंत्रित होती हैं और बोर्ड के सदस्यों की कंपनी की हर सूचना तक पहुँच होती है और वे चर्चा के लिए कार्यसूची में किसी भी विषय–वस्तु में अन्तर्भाव की सिफारिश के लिए भी स्वतन्त्र हैं। विस्तृत कार्यसूची जिसमें प्रबंधन की रिपोर्ट और अन्य व्याख्येय विवरण होते हैं, बोर्ड के सदस्यों के बीच बैठकों में सार्थक, सूचित और केन्द्रित निर्णयों हेतु कार्यसूची के फार्मेट में अग्रिम रूप से परिचारित की जाती हैं। जहाँ किसी विशेष मद के व्यवसाय हेतु किसी कागजात या कार्यसूची नोट को परिचारित करना व्यवहार्य नहीं होता, उन्हें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की मंजूरी से मेज पर रखा जाता है। बोर्ड द्वारा जिन मदों पर चर्चा की जानी है उन पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जब और जहां आवश्यक हो, बुलाया जाता है।

वर्ष 2010–11 के दौरान, 21 अप्रैल, 23 जुलाई, 26 अगस्त, 27 सितम्बर, 10 नवंबर एवं 15 दिसंबर 2010 तथा 2 फरवरी, 2011 को बोर्ड की 7 बैठकें हुई।

बोर्ड की दो बैठकों में न्यूनतम और अधिकतम क्रमशः 31 और 92 दिनों का अन्तराल रहा।

उपस्थिति :

निदेशकों की श्रेणी, अन्य कंपनियों में उनके निदेशक रहने, अन्य कंपनियों के बोर्ड की बैठकों में उनकी सदस्यता/अध्यक्षता, बोर्ड की बैठकों/वार्षिक आम सभा में उनकी उपस्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है :–

निदेशक का नाम और पदनाम	जिन बैठकों में उपस्थित रहे	पिछली वार्षिक आम सभा मे उपस्थिति	31.3.2011 को अन्य सार्वजनिक लि. कंपनियों में निदेशक रहे	31.03.2011 को अन्य कंपनियों की बोर्ड की बैठकों में सदस्य/अध्यक्ष रहे
कार्यरत निदेशक				
श्री एन.के. माथुर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	7/7	हाँ	1	1
श्री एन.के. निर्मल निदेशक (वित्त)	7/7	हाँ	1	शून्य
श्री एस.एस. राय बर्मन निदेशक (विपणन)	7/7	हाँ	शून्य	शून्य
श्री एम.एम. शर्मा निदेशक (कार्मिक)	6/7	हाँ	शून्य	शून्य
श्री खलील रहीम, निदेशक (विपणन)	7/7	हाँ	शून्य	शून्य
अंशकालिक सरकारी निदेशक–सरकार के नामिती				
श्री पी.के. चौधरी, विशेष सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	5/7	नहीं	1	1
डॉ. सुतानु बेहुरिया, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय	2/4	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
श्री सौरभ चन्द्र अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय	1/1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
डॉ. राजन काटोच	1/ 2	लागू नहीं	2	4
अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक–स्वतंत्र निदेशक				
डॉ. (श्रीमती) बी. किनेरा मूर्ति	7/7	हाँ	शून्य	शून्य
श्री जयेन्द्र एन. शाह	5/7	हाँ	2	शून्य

1.4 निदेशक मंडल में परिवर्तन

डॉ. सुतानु बेहुरिया, एसटीसी के बोर्ड पर अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रहे और श्री सौरभ चन्द्र, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय ने एसटीसी के बोर्ड पर अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में 10.11.2010 से डॉ. सुतानु बेहुरिया के स्थान पर कार्यभार ग्रहण किया।

बाद में, श्री सौरभ चन्द्र, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय, एसटीसी के बोर्ड पर अंशकालिक सरकारी निदेशक नहीं रहे और डॉ. राजन काटोच, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय ने एसटीसी के बोर्ड पर अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप में 15.12.2010 से डॉ. सौरभ चन्द्र के स्थान पर कार्य ग्रहण किया।

श्री प्रशान्त बैनर्जी, प्रो. आर.एच. ढोलकिया तथा श्री नरेश दयाल कंपनी के बोर्ड पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

2. पुनः नियुक्ति हेतु प्रस्तावित निदेशकों का जीवन–वृत्त

बारी पर सेवानिवृत्त होने वाले और पुनः नियुक्ति के लिए इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त जीवन–वृत्त तथा अपर निदेशक जो पुनः नियुक्ति के इच्छुक हैं, उनके विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में अनुभव की प्रकृति, कंपनियों के नाम जिनमें बोर्ड/समिति में निदेशक और सदस्य/अध्यक्ष रहे, वार्षिक आम सभा के नोटिस में संलग्न हैं।

3. बोर्ड की समितियाँ

कंपनी के बोर्ड की निम्नलिखित समितियाँ हैं :

3.1 लेखा परीक्षा समिति

लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292ए, सूचीकरण करार के खण्ड 49 और मई 2010 को डीपीई द्वारा जारी सीपीएसई हेतु कार्पोरेट शासन पर मार्ग–निर्देशों के अनुसार हैं। लेखा परीक्षा समिति, वित्तीय विवरणिकाओं के उचित प्रकटीकरण, उनकी साख तथा लेखांकन मानकों, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य कानूनी अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है। यह आंतरिक और बाह्य लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की समीक्षा करती है, आंतरिक लेखा परीक्षा की उपलब्धि की समीक्षा करती है तथा महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करती है और तिमाही, छमाही तथा वार्षिक लेखों की समीक्षा करती है।

बोर्ड द्वारा गठित कंपनी की लेखा परीक्षा समिति में दो अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक और एक अंशकालिक सरकारी निदेशक/सरकार द्वारा नामिती इसके सदस्यों के रूप में हैं। समिति की बैठकों की डॉ. (श्रीमती) बी. किनेरा मूर्ति स्वतंत्र निदेशक द्वारा अध्यक्षता की गई। बाद में डॉ. सुतानु बेहुरिया के स्थान पर डॉ. राजन काटोच, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य मंत्रालय के एसटीसी के बोर्ड पर अंशकालिक सरकारी निदेशक के रूप आए निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति निदेशक मंडल द्वारा 15 दिसंबर 2010 को इसकी बैठक में पुनः गठित की गई है जिसमें दो स्वतंत्र निदेशक और एक सरकार द्वारा नामिती अंशकालिक सरकारी निदेशक थे। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव रहे। समिति के सभी सदस्य वित्तीय और प्रबंधन का अनुभव रखते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, निदेशक (वित्त) और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख, बैठकों में स्थायी आमंत्रित हैं। कार्यरत निदेशक, वित्त के कार्यकारी और अन्य विभाग आवश्यकता के आधार पर आमंत्रित किए जाते हैं।

कंपनी की पिछली वार्षिक आम सभा में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

वर्ष 2010–11 के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की पाँच बैठकें – 21 अप्रैल, 23 जुलाई, 27 सितंबर तथा 10 नवंबर 2010 और 02 फरवरी 2011 को हुई।

उपस्थिति

सदस्य	बैठकों में उपस्थित रहे
डॉ. (श्रीमती) बी. किनेरा मूर्ति, अध्यक्ष	5/5
श्री जयेन्द्र एन. शाह	4/5
डॉ. सुतानु बेहुरिया, ए एस एंड एफ ए, वाणिज्य मंत्रालय (10.11.2010 तक)	1/4
श्री सौरभ चन्द्र, ए एस एंड एफ ए, वाणिज्य मंत्रालय (10.11.2010 से 15.12.2010 तक)	लागू नहीं
डॉ. राजन काटोच, ए एस एंड एफ ए, वाणिज्य मंत्रालय (15.12.2010 से)	1/1

3.2 शेयर धारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति

कंपनी की बोर्ड स्तर पर शेयर धारकों और निवेशकों की शिकायतों के निपटान से संबंधित विभिन्न मामलों को सुलझाने के लिए शेयर धारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति है। श्री पी.के. चौधरी, विशेष सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, अंशकालिक सरकारी निदेशक/सरकार द्वारा नामिती समिति के अध्यक्ष हैं। श्री एन.के. निर्मल, निदेशक (वित्त) और श्री एम.एम. शर्मा, निदेशक (कार्मिक) समिति के सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान कोई बड़ी शिकायत नहीं थी और 31.03.2011 को निवेशक की कोई शिकायत लम्बित नहीं थी। कंपनी सचिव, शेयरधारक/निवेशक शिकायत निवारण समिति के भी सचिव हैं।

वर्ष 2010–11 के दौरान, समिति की चार बैठकें – 16 अप्रैल, 20 जुलाई एवं 26 अक्तूबर 2010 को तथा 13 जनवरी 2011 को हुई। उपस्थिति विवरण इस प्रकार है :

सदस्य का नाम	बैठकों में उपस्थित रहे
श्री पी.के. चौधरी, विशेष सचिव, वाणिज्य मंत्रालय – अध्यक्ष	4/4
श्री एन.के. निर्मल, निदेशक (वित्त)	4/4
श्री एम.एम. शर्मा, निदेशक (कार्मिक)	4/4

3.3 पारिश्रमिक समिति

कंपनी की बोर्ड स्तर पर एक पारिश्रमिक समिति है जो अपने कार्यपालकों और गैर संघीय पर्यवेक्षकों को निर्धारित सीमाओं के भीतर वार्षिक बोनस/परिवर्तित वेतन पूल और पॉलिसी के वितरण हेतु निर्णय करती है। डॉ. (श्रीमती) बी. किनेरा मूर्ति, अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक समिति की अध्यक्ष हैं। श्री एन.के. निर्मल, निदेशक (वित्त) और श्री एम.एम. शर्मा, निदेशक (कार्मिक) समिति के सदस्य हैं।

एसटीसी, सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके पूर्णकालिक कार्यरत निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें और पारिश्रमिक, इसके प्रशासनिक मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। गैर कार्यकारी सरकारी निदेशक (सरकार द्वारा नामिती) कोई पारिश्रमिक नहीं लेते। गैर कार्यकारी अंशकालिक गैर सरकारी/स्वतंत्र निदेशकों को प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने के लिए 10,000 रुपये सिटिंग फीस दी जाती है।

उक्त समिति की दो बैठकें 27.09.2010 और 02.02.2011 को हुई। सभी सदस्य उपस्थित थे।

3.3.1 निदेशकों का पारिश्रमिक

31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों का पारिश्रमिक निम्नलिखित था :

(क) कार्यरत निदेशक

(रु. लाख में)

क्रम. स.	नाम	महंगाई भत्ते सहित वेतन	अन्य लाभ व पर्क्स	निष्पादन लाभ	भ. नि. और अन्य निधि हेतु अंशदान	ए एस–15 के अनुसार छुट्टी का प्रावधान	ए एस–15 के अनुसार आनुतोषिक हेतु प्रावधान	महायोग
1.	श्री एन.के. माथुर	22.32	2.86	12.85	1.71	5.57	0.62	45.93
2.	श्री एन.के. निर्मल	22.80	2.00	9.35	1.66	4.53	0.67	41.01
3.	श्री एस.एस. राय बर्मन	22.33	1.93	9.14	1.63	10.37	0.53	45.93
4.	श्री एम.एम. शर्मा	18.70	6.76	8.64	1.57	7.25	0.58	43.50
5.	श्री खलील रहीम	17.41	6.16	8.73	1.55	8.84	2.53	45.22

(ख) अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक/स्वतंत्र निदेशक

गैर कार्यकारी–गैर सरकारी निदेशकों को बोर्ड/समिति की हर बैठक में उपस्थित रहने के लिए रु. 10,000 की दर से सिटिंग फीस दी गई। समीक्षाधीन वर्ष के तहत वर्ष के दौरान भुगतान की गई सिटिंग फीस का ब्यौरा इस प्रकार हैः–

क्रम. सं.	नाम	सिटिंग फीस (रु. लाख में)
1.	डॉ. (श्रीमती) बी. किनेरा मूर्ति	1.20
2.	श्री जयेन्द्र एन. शाह	0.90
	योग	**2.10**

3.3.2 निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर

यहाँ बताए गए के अलावा, कंपनी में किसी भी निदेशक के पास इक्विटी शेयर नहीं हैं जैसा कि कंपनी में उनके द्वारा घोषणा की गई है :–

क्रम.स.	निदेशकों के नाम	धारित शेयरों की सं.
1.	श्री एन.के. माथुर	2
2.	श्री पी.के. चौधरी	2
3.	श्री एन.के. निर्मल	2
4.	श्री एस.एस. राय बर्मन	2
5.	श्री खलील रहीम	1
6.	श्री एम.एम. शर्मा	1

उक्त शेयर निदेशकों द्वारा उनकी अपनी सरकारी क्षमता में धारण किए गए हैं।

4. बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता

कंपनी व्यापार नीतियों के उच्चतम मानकों के अनुसार व्यवसाय करने के लिए तथा लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कार्पोरेट शासन पर मार्ग–निर्देशों में अनुबद्ध बोर्ड के सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आदर्श आचार संहिता की दृष्टि से बोर्ड द्वारा बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु एक आचार संहिता ग्रहण की गई। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइटः www.stc.gov.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड के सभी सदस्यों और अन्य मुख्य कार्यपालकों ने समीक्षाधीन वर्ष में आचरण नियमावली के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा यह हैः

"मैं एतद् द्वारा पुष्टि करता हूँ कि कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और मुख्य कार्यपालकों का समर्थन प्राप्त कर लिया है कि उन्होंने वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु आचार संहिता का पालन किया है।"

4.1 अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया (अंतरंगी व्यापार की रोकथाम) विनियम 1992 के अनुसरण में, जैसा कि समय–समय पर संशोधित है, बोर्ड ने एसटीसी की सिक्योरिटीज के साथ डीलिंग में अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए

आचार संहिता का अनुमोदन किया है। संहिता का उद्देश्य अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के आधार पर कंपनी के शेयरों की खरीद और/या बिक्री की रोकथाम करना है। इस संहिता के तहत, सभी निदेशकों और कर्मचारियों को व्यापार विंडो और अन्य विशिष्ट अवधि के समापन के दौरान कंपनी के शेयरों के व्यापार से प्रतिबंधित करना है। विशिष्ट सीमा के बाद सिक्योरिटीज के लेन–देन के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। सभी निदेशकों और कर्मचारियों को संहिता में अनुबद्ध के अनुसार संबंधित सूचना समय–समय पर बताना आवश्यक है। यह संहिता सभी निदेशकों और कर्मचारियों को परिचारित की गई है और कंपनी की वेबसाइट पर भी दी गई है।

4.2 सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण

सूचीकरण करार के संशोधित खंड 49 की शर्तों में, वित्तीय विवरणिकाओं और वर्ष 2010–11 की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आन्तरिक नियंत्रणों पर सीईओ/सीएफओ द्वारा प्रमाणीकरण बोर्ड में 24.06.2011 को प्रस्तुत किया गया और इस रिपोर्ट में जोड़ा गया है।

5 अनुषंगी कम्पनी :

कंपनी की एक पूर्ण स्वामित्व की असूचीबद्ध अनुषंगी कंपनी, एसटीसीएल लिमिटेड है, जो सूचीकरण करार के खंड 49 की शर्तों में भौतिक अनुषंगी कंपनी नहीं है।

6 अनुपालन अधिकारी :

कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। कंपनी सचिव मुख्यतः लागू वैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करता है और शासन संबंधी मामलों के लिए प्रबंधन और नियामक प्राधिकरणों के मध्य इंटरफेस है।

7 वार्षिक आम सभा

कंपनी की वार्षिक आम सभाएँ इसके पंजीकृत कार्यालय जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001 में होती हैं। विगत तीन वर्षों में हुई ऐसी सभाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

सभा का नाम	वित्त वर्ष	तारीख और समय
वार्षिक आम सभा	2009–10	27.09.2010–अपराह्न 3.00 बजे
वार्षिक आम सभा	2008–09	24.09.2009–अपराह्न 3.00 बजे
वार्षिक आम सभा	2007–08	23.09.2008–दोपहर 12 बजे

वार्षिक आम सभा में रखे गए सभी संकल्प बैठक में उपस्थित सदस्यों के अपेक्षित बहुमत द्वारा हाथ उठाकर पारित किए गए।

8 प्रकटीकरण

- वर्ष के दौरान, निदेशकों या प्रबंधन या अनुषंगी या संबंधी के साथ भौतिक प्रकृति का कोई लेन–देन नहीं था जिनका कंपनी के हितों से व्यापक रूप से संभावित विवाद हो।
- "संबंधित पार्टी प्रकटीकरण" के विवरण वार्षिक रिपोर्ट में लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियों में क्रम सं. 12 पर दिए गए हैं।
- कंपनी भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानकों का अनुसरण करती है और वित्तीय विवरणिकाएं तैयार करने में कंपनी ने लेखांकन मानक में निर्धारित से अलग व्यवहार नहीं अपनाया है।
- किसी भी गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक का 31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी के साथ आर्थिक अथवा लेन–देन का संबंध नहीं था।
- खर्चे की कोई मदें लेखा बहियों में डेबिट नहीं की गई हैं जो व्यवसाय के उद्देश्य हेतु नहीं हैं। कोई खर्चे, जो व्यक्तिगत प्रकृति के हैं, निदेशक मंडल और उच्च प्रबंधन के लिए नहीं किए गए हैं।
- पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा पूंजी बाजार संबंधी ऐसा कुछ नहीं था जिसका अनुपालन न हुआ हो। कंपनी पर सेबी स्टॉक एक्सचेंज या किसी सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा कोई जुर्माना या निन्दा नहीं की गई है।
- कंपनी ने सूचीकरण करार के खण्ड–49 की बाध्यकारी अपेक्षाओं, निदेशक मंडल के गठन को छोड़कर, का अनुपालन किया है। भारत सरकार कंपनी के बोर्ड में नामांकन हेतु स्वतंत्र निदेशकों के चयन की प्रक्रिया में है।
- कंपनी ने एम्प्लाइज स्टॉक आप्शन स्कीम का चयन नहीं किया है।

9 संचार के साधन

- **तिमाही/वार्षिक परिणाम** : कंपनी, बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद तत्काल स्टॉक एक्सचेंजों को अलेखा परीक्षित और साथ ही लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम नियमित रूप से सूचित करती है। ये परिणाम देश में व्यापक प्रसार वाले अंग्रेजी व अन्य भाषाओं

के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। ये परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.stc.gov.in पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।

- **समाचार प्रसारण** : सरकारी समाचार कंपनी की वेबसाइट www.stc.gov.in पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं।
- **वेबसाइट** : कंपनी की वेबसाइट www.stc.gov.in का एक अलग भाग है जहाँ शेयर धारकों की सूचना उपलब्ध है। पूरी वार्षिक रिपोर्ट और कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट आदि वेबसाइट पर एक प्रयोक्ता मैत्री रूप में उपलब्ध है।
- **वार्षिक रिपोर्ट** : वार्षिक रिपोर्ट जिसमें साथ ही लेखापरीक्षित लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडीएंडए) रिपोर्ट, लेखा परीक्षा रिपोर्ट, शेयर धारकों को सूचना सहित कार्पोरेट शासन की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण सूचना सदस्यों और इसके अन्य पात्रों को परिचारित की जाती है।

10 शेयरधारकों की सूचना

10.1 आगामी वार्षिक आम सभा–तारीख, समय और स्थान

31 मार्च 2011 को समाप्त वित्त वर्ष की वार्षिक आम सभा 29 सितम्बर 2011 को अपराह्न 3.00 बजे चौथी मंजिल एनेक्सी, जवाहर व्यापार भवन, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली–110001 में प्रस्तावित है।

10.2 वित्तीय कैलेंडर

समाप्त अवधि	वित्तीय परिणाम ग्रहण करने की अंतिम तिथि
30 जून, 2011 को समाप्त तिमाही	15 अगस्त, 2011
30 सितम्बर, 2011 को समाप्त तिमाही	15 नवम्बर, 2011
31 दिसंबर, 2011 को समाप्त तिमाही	15 फरवरी, 2012
31 मार्च, 2012 को समाप्त तिमाही	15 मई, 2012
2011–12 हेतु लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम	30 सितम्बर, 2012

10.3 बही बंद होने की तारीख

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के इक्विटी शेयरों पर 30% की दर से अंतिम भुगतान हेतु, यदि शेयरधारकों द्वारा मंजूरी मिल जाती है, कंपनी के सदस्यों/हितकारी मालिकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से सदस्यों का रजिस्टर 24 सितम्बर 2011 से 29 सितम्बर 2011 (दोनों को मिलाकर) तक बंद रहेगा। यदि बैठक में लाभांश घोषित हो जाता है तो वह उन सदस्यों को दिया जाएगा जिनके नाम 23.09.2011 को दिन की समाप्ति पर हितकारी स्वामी के रूप में सदस्यों के रजिस्टर में होंगे।

10.4 लाभांश भुगतान की तारीख

बोर्ड ने वित्त वर्ष 2010–11 हेतु आगामी वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों के विचारार्थ 30% की दर से बढ़ी हुई पूंजी पर अंतिम लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है। यदि शेयरधारकों द्वारा मंजूरी दी जाती है तो कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार वह राशि घोषणा की तारीख से 5 दिनों के भीतर नामित बैंक खाते में अंतरित की जाएगी और मंजूदी की तारीख अर्थात् 29 सितम्बर 2011 से 30 दिन के भीतर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

10.5 भुगतान न की गई/दावा न की गई राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में अंतरित करना

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी के अनुसरण में 7 वर्षों तक दावा न की गई और भुगतान न की गई लाभांश की राशि, जिस तारीख को वह देय हुई हो, को केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित है।

वे सदस्य जिन्होंने अभी तक अपने लाभांश वारंट नहीं भुनाए हैं, अनुरोध है कि वे आईईपीएफ में अंतरण से बचने के लिए इसके दावे के लिए कंपनी/रजिस्ट्रार को लिखें। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि उक्त निधि के लिए या कंपनी पर कथित निधि में इस प्रकार स्थानांतरित लाभांश की राशि का दावा नहीं होगा।

10.6 स्टॉक एक्सचेंजों के पास सूचीबद्धता

यह कंपनी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, फिरोज जीजी भाई टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज–प्लाजा, बांद्रा–कुर्ला काम्पलैक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई में सूचीबद्ध है। वर्ष 2011–12 हेतु वार्षिक सूचीकरण शुल्क/वार्षिक अभिरक्षा शुल्क का संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों और नेशनल सिक्योरिटीज डिपोज़िटरी लिमिटेड (एन एस डी एल) और सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेज (इडिया) लिमिटेड (सीडीएससल) को पहले ही भुगतान कर दिया गया है।

10.7 स्टॉक बाजार के आँकड़े

माह	बांबे स्टॉक एक्सचेंज			नेशनल स्टॉक एक्सचेंज		
	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	मात्रा (शेयरों की संख्या में)	उच्च (रु.)	निम्न (रु.)	मात्रा (शेयरों की संख्या में)
अप्रैल, 10	486.00	436.00	35,45,579	485.80	394.95	84,74,940
मई, 10	447.80	342.35	37,61,645	447.80	340.05	83,63,195
जून, 10	453.80	383.85	88,49,578	454.00	383.85	2,03,06,865
जुलाई, 10	454.40	411.15	39,52,384	454.35	411.00	88,53,767
अगस्त, 10	434.50	365.00	19,16,344	434.70	364.00	43,62,746
सितम्बर, 10	431.00	365.20	43,49,555	431.50	365.10	1,10,90,130
अक्तूबर 10	428.50	372.00	15,38,060	431.10	372.00	33,67,256
नवम्बर, 10	422.80	295.00	16,51,665	422.00	292.60	39,05,390
दिसंबर, 10	364.80	295.00	19,49,208	364.40	292.00	41,45,529
जनवरी, 11	344.50	256.10	7,41,296	344.00	257.00	16,44,858
फरवरी, 11	285.75	200.00	40,59,963	285.90	200.10	96,77,348
मार्च, 11	262.70	236.00	12,96,558	262.30	235.45	33,21,111

10.8 शेयर अंतरण प्रणाली

कंपनी के शेयरों का अनिवार्यतः अभौतिक रूप में व्यापार होता है। भौतिक रूप में शेयरों के वैध शेयर अंतरण डीड के साथ प्राप्त होने पर 30 दिन की अवधि के भीतर ही सामान्यतः प्रक्रिया पूरी कर दी जाती है। एक शेयर अंतरण समिति है जिसमें 2 पूर्णकालिक निदेशक हैं और कंपनी सचिव स्थानांतरणों की मंजूरी के लिए सक्षम हैं। 31.3.2011 को यथास्थिति कोई भी अंतरण लंबित नहीं था। इस प्रकार के अनुरोधों पर कंपनी के रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट मैं. एमसीएस लिमिटेड के माध्यम से कार्य किया जाता है।

सूचीकरण करार के खण्ड 47–सी के अनुसरण में कंपनी द्वारा शेयर अंतरण औपचारिकताओं के विधिवत अनुपालन की पुष्टि के त्रैमासिक आधार पर प्रमाण–पत्र, सेबी (डिपॉजिटर्स एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम 1996 के अनुसार शेयरों के समय पर अभौतिकीकरण हेतु प्रमाण–पत्र, स्टॉक एक्सचेंजों को भेजे जाते हैं।

इसके अलावा, पूँजी संग्रहण लेखा परीक्षा के अनुसार, शेयर पूँजी के समाधान की एक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जिसमें पुष्टि होती है कि कंपनी की कुल जारी पूँजी कुल शेयरों की कुल संख्या सहित भौतिक रूप में करार में है और एमएसडीएल तथा सीडीएसएल के पास रखे अभौतिकीकृत शेयरों की कुल संख्या, बोर्ड के समक्ष त्रैमासिक आधार पर रखी जाती है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति भी स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत की जाती है।

10.9 रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट

मै. एमसीएस लि.
एफ–65, पहली मंजिल
ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज–I
नई दिल्ली–110020
टेलीफोन नं. : 91–11–41406149/50/51/52
फैक्स : 91–41–41709881
वेबसाइट : www.mcsdel.com
ई मेल : admin@mcsdel.com

10.10 31 मार्च 2011 को शेयरधारण पद्धति

श्रेणी	धारित शेयरों की सं.	शेयरधारण का प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	54613600	91.0227
म्युचुअल फंड्स/यूटीआई	94397	0.1573
वित्तीय संस्थाएँ/बैंक	550	0.0009
बीमा कंपनियाँ	696210	1.1604
विदेशी संस्था निवेशक	40095	0.0668
निकाय कार्पोरेट	1018860	1.6981
भारतीय जनता	3471724	5.7862
अनिवासी भारतीय	64564	0.1076
योग	60000000	100.0000

10.11 31 मार्च, 2011 को 10 शीर्ष शेयरधारक

क्रम. स.	नाम	धारित शेयरों की सं.	कुल शेयर का %
1.	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	5,46,13,600	91.0226
2.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5,35,000	0.8917
3.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,00,274	0.1671
4.	एचएसबीसी प्रोग्रेसिव थीम्स फंड	92,217	0.1537
5.	एम. किरण कुमार	80,000	0.1333
6.	एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड	61,442	0.1024
7.	द ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	60,936	0.1016
8.	रेलिगेयर सिक्युरिटीज लिमिटेड	44,119	0.0735
9.	कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड	42,850	0.0714
10.	प्रवीण चन्द नाहर	33,100	0.0552

10.12 31.03.2011 को साइज़ द्वारा शेयरधारण का वितरण

श्रेणी (शेयरों की सं.)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयरों की कुल संख्या	शेयरधारकों का %
1-500	30077	95.8324	2069696	3.4495
501-1000	754	2.4024	595900	0.9932
1001-2000	320	1.0196	487426	0.8124
2001-3000	87	0.2772	215628	0.3594
3001-4000	47	0.1498	171993	0.2867
4001-5000	37	0.1179	169153	0.2819
5001-10000	31	0.0998	219389	0.3656
10001-50000	25	0.0797	527360	0.8789
50001-100000	4	0.0127	294595	0.4910
100001 और ऊपर	3	0.0095	55248860	92.0814
योग	31385	100.0000	60000000	100.0000

10.13 कार्पोरेट लाभ

वर्ष	अंतरिम/अंतिम	दर (%)	प्रति शेयर (%)	राशि (रु. लाख में)
2006-07	अंतरिम	20	2.00	600.00
	अंतिम	40	4.00	1200.00
2007-08	अंतरिम	35	3.50	1228.45
	अंतिम	30	3.00	1800.00
2008-09	अंतरिम	25	2.50	1500.00
	अंतिम	22.50	2.25	1350.00
2009-10	अंतरिम	25	2.50	1500.00
	अंतिम	22.50	2.25	1350.00
2010-11	अंतरिम	-	-	-
	अंतिम	30	3.00	1800.00

10.14 शेयरों का अभौतिकीकरण और लिक्विडिटी

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयर	इक्विटी का %
सीडीएसएल	11968	56118066	93.53
एनएसडीएल	19336	3857774	6.43
भौतिक	81	24160	0.04
योग	31385	60000000	100.00

कंपनी के शेयर नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड दोनों डिपॉजिटरी–सिस्टम में व्यापार हेतु उपलब्ध हैं। 31 मार्च, 2011 को 5,99,75,840 इक्विटी शेयर जिससे 99.57% डाइवेस्टेड शेयरधारण बनता है, अभौतिकीकृत रहे।

10.15 शेयरधारकों के पत्राचार हेतु पता

बोर्ड सचिवालय एवं संसद प्रभाग
स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
जवाहर व्यापार भवन
टालस्टाय मार्ग
नई दिल्ली – 110001
फोन न. – 011–23313177
फैक्स सं. – 011–23701123, 23701191 ई–मेल : cs@stc.gov.in

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इण्डिया के दिनांक 22.01.2007 के परिपत्र के अनुसार, विशेष ई–मेल : आईडी cs@stc.gov.in निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए रखरखाव किया जाता है।

शेयरों के अंतरण, अभौतिकीकरण या पुनः भौतिकीकरण, लाभांश की प्राप्ति, पते में परिवर्तन या अन्य रुटीन पूछताछ हेतु, शेयरधारक ऊपर 10.9 पर दिए गए पते पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

11 लेखा परीक्षकों से अनुपालन प्रमाण–पत्र

कंपनी के लेखा–परीक्षकों से, सूचीकरण करार में खण्ड 49 के तहत निर्धारित के अनुसार कार्पोरेट शासन की शर्तों के साथ अनुपालन की पुष्टि करते हुए प्रमाण–पत्र वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में निदेशकों की रिपोर्ट में दिया गया है। यह प्रमाण–पत्र स्टॉक एक्सचेंजों को भी अग्रेषित किया गया है जहाँ कंपनी की सिक्योरिटीज सूचीबद्ध हैं।

12 डीपीई द्वारा कार्पोरेट शासन पर मार्ग–निर्देश

मई, 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने सीपीएसई हेतु कार्पोरेट शासन, 2010 पर बाध्यकारी मार्गनिर्देशों को अधिसूचित किया है। एसटीसी के निदेशक मंडल ने इन मार्ग–निर्देशों को अपनाया है जैसे कि बोर्ड ने कार्पोरेट शासन पर नीति का अनुमोदन किया है।

वर्ष 2010–11 के दौरान की गई भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती का विवरण

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण (प्रतिशत)	वर्ष 2010–11 के दौरान की गई कुल भर्ती	वर्ष के दौरान भर्ती किए गए भूतपूर्व सैनिकों की संख्या
चपरासी/चौकीदार/सफाई कर्मचारी/हेल्पर एवं बढ़ई	14.5	2	शून्य
अवर सहायक/अवर आशुलिपिक	14.5	शून्य	शून्य
ड्राइवर	14.5	1	शून्य

कार्पोरेट शासन पर लेखा–परीक्षकों का प्रमाण–पत्र

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

हमने 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. द्वारा कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जाँच की है, जैसा कि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों हेतु कार्पोरेट शासन पर मार्गनिर्देशों और स्टॉक एक्सचेंजों के साथ निष्पादित उक्त कम्पनी के सूचीकरण करार के खंड 49 में प्रावधान किया गया है।

कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित थी। यह कम्पनी की वित्तीय विवरणिकाओं की न तो लेखा–परीक्षा है और न ही उनके बारे में अभिमत की अभिव्यक्ति।

हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कम्पनी ने उपर्युक्त सूचीकरण करारों के खण्ड 49(1ए) और सूचीकरण करारों के कार्पोरेट शासन पर मार्ग निर्देशों के खंड 3.1.4 के सिवाय डीपीई द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों हेतु कार्पोरेट शासन में निदेशक मंडल में स्वतंत्र और गैर कार्यकारी निदेशकों की संख्या के संबंध में किए गए प्रावधान के अनुसार कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम आगे यह उल्लेख करते हैं कि इस प्रकार का अनुपालन न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में, न ही उस कुशलता और प्रभावशीलता के बारे में कोई आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यों का संचालन किया है।

चण्डोक एंड गुलियानी
चार्टर्ड लेखाकार

ह./–
(वी के लल्ला)
साझीदार
एम. नं. 080847

दिनांक : 24.06.2011
स्थान : नई दिल्ली

आचार संहिता के पालन संबंधी सूचीकरण करार के खंड 49 के अधीन सीईओ और सीएफओ द्वारा घोषणा

स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि. के निदेशक मंडल के लिए

हम, एन.के. माथुर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक और एन.के. निर्मल, मुख्य वित्त अधिकारी एवं निदेशक (वित्त) यह प्रमाणित करते हैं कि :

(क) हमने 31.03.2011 को समाप्त वर्ष की वित्तीय विवरणिकाओं तथा रोकड़ प्रवाह विवरणिका की समीक्षा कर ली है और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार :

- i) इन विवरणिकाओं में कोई भौतिक रूप से असत्य विवरणिका नहीं है या भौतिक तथ्य को न मानने वाली या गुमराह करने वाली विवरणिका नहीं है;
- ii) ये विवरणिकाएँ मिलकर कंपनी के मामलों की सत्य और स्वच्छ छवि प्रस्तुत करती हैं तथा वर्तमान लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती हैं।

(ख) सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई कपटपूर्ण और कानूनी या कंपनी की आचारसंहिता के उल्लंघन संबंधी लेन–देन की कोई प्रविष्टि नहीं है।

(ग) हम, वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी कपनी की आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता का मूल्यांकन किया है तथा हमने ऐसे आन्तरिक नियंत्रण के डिजाइन या संचालन में कमियाँ यदि कोई हो, को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को बताया है। हम इससे परिचित हैं तथा इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया है कि :

- i) संदर्भ के तहत वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।
- ii) वित्तीय विवरणिकाओं की टिप्पणियों के प्रकटीकरण में आपेक्षित वर्ष के दौरान लेखांकन पालिसियों में कोई महत्त्वपूर्ण बदलाव नहीं है और
- iii) वर्ष के दौरान कोई महत्त्वपूर्ण धोखाधड़ी भी नहीं हुई जिससे हम अवगत कराए गए हों और उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के संबंध में कोई महत्वपूर्ण भूमिका हो।

ह/–
(एन.के. माथुर)
सीईओ एवं अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

ह/–
(एन.के. निर्मल)
मु. वित्त अधिकारी एवं
निदेशक (वित्त)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 24.06.2011

विशिष्टताएँ : एक नजर में दस वर्ष

(रु. करोड़)

विवरण	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08
प्रचालन परिणाम				
बिक्रियाँ				
निर्यात	491.93	1,503.79	2,131.88	4,002.06
आयात	18,938.22	19,049.10	16,315.54	10,773.24
स्वदेशी	554.69	955.76	1,338.42	998.82
योग	**19,984.84**	**21,508.65**	**19,785.84**	**15,774.12**
लाभ				
व्यापार	177.87	144.55	113.06	194.25
कर से पहले	79.63	170.93	144.87	176.51
कर के बाद	56.43	106.95	78.51	124.45
बँधे खर्चे	145.52	131.73	149.31	100.21
उपार्जित ब्याज (निवल)	18.43	(137.70)	(184.30)	(73.13)
लाभांश	18.00	28.50	28.50	30.00
निवल मूल्य				
शेयर पूँजी	60.00	60.00	60.00	60.00
आरक्षित	619.46	583.94	510.29	464.89
योग	**679.46**	**643.94**	**570.29**	**524.89**
बैंक से उधार	1,549.09	2,467.85	2,377.32	1,098.66
कार्यालय पूँजी				
माल सूचियाँ	1,313.75	567.01	1,463.74	647.62
देनदार	4,507.94	6,610.96	5,558.53	5,783.80
अन्य (निवल)	(3,718.43)	(4,197.57)	(4,176.51)	(4,983.23)
योग	**2,103.26**	**2,980.40**	**2,845.76**	**1,448.19**
नियोजित पूँजी	676.43	640.91	567.25	434.17
महत्वपूर्ण अनुपात				
व्यापार लाभ : बिक्रियाँ (%)	0.9	0.7	0.6	1.2
कर से पूर्व लाभ : बिक्रियाँ (%)	0.4	0.8	0.7	1.1
कर से पूर्व लाभ : निबल मूल्य (%)	11.7	26.5	25.4	33.6
बिक्रियाँ : नियोजित पूँजी (बार)	29.5	33.6	34.9	36.3
मालसूचियाँ : बिक्रियाँ (%)	6.6	2.6	7.4	4.1
देनदार : बिक्रियाँ (%)	22.6	30.7	28.1	36.7
बँधे खर्चे : बिक्रियाँ (%)	0.7	0.6	0.8	0.6

विशिष्टताएँ : एक नजर में दस वर्ष

(रु. करोड़)

2006-07	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03	2001-02
2,927.17	1,094.56	568.00	1,192.05	690.52	695.91
10,692.46	5,493.27	8,407.00	6,977.79	1,752.81	780.55
715.64	537.41	547.00	178.71	89.20	105.93
14,335.27	**7,125.24**	**9,522.00**	**8,348.55**	**2,532.53**	**1,582.39**
167.42	99.56	62.85	53.80	11.04	16.52
122.72	56.69	37.03	25.82	(83.40)	(39.79)
88.28	38.95	25.03	19.73	(83.97)	(40.34)
98.08	62.28	76.46	61.33	52.48	58.90
(67.40)	(31.31)	(31.84)	(25.15)	(13.08)	(11.37)
18.00	15.00	9.00	7.50	6.00	43.95
30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
403.77	335.14	289.99	266.07	242.59	332.53
433.77	**365.14**	**319.99**	**296.07**	**272.59**	**362.53**
894.83	202.73	129.66	321.03	143.99	68.00
561.18	330.12	239.93	135.93	72.71	38.21
2,521.23	1,694.19	1,067.72	451.29	68.09	19.09
(1,920.49)	(1,598.72)	(977.73)	(100.65)	142.34	201.04
1,161.92	**425.59**	**329.92**	**486.57**	**283.14**	**258.34**
343.05	274.42	229.27	195.49	312.71	289.24
1.2	1.4	0.7	0.6	0.4	1.0
0.9	0.8	0.4	0.3	-	-
28.3	15.5	11.6	8.7	-	-
41.8	26.0	41.5	42.7	8.1	5.5
3.9	4.6	2.5	1.5	2.9	2.4
17.6	23.8	11.2	5.4	2.7	1.2
0.7	0.9	0.8	0.7	2.1	3.7

प्रभागानुसार निर्यात व आयात बिक्रियाँ

	(रु. करोड़ में)
निर्यात	
लौह अयस्क	140.03
चाय	2.01
चपड़ा	30.69
मक्का	68.55
अरण्डी का तेल	91.92
सीसेम बीज	1.08
कपड़ा एवं सिले–सिलाए वस्त्र	1.64
एच आर कॉयल्स	9.45
लुब्रिकेन्ट	0.87
स्टील की स्लैब	138.58
औषधियाँ	2.43
टाटा की एम्बुलेंस	4.68
योग	**491.93**
आयात	
चीनी	29.00
धातु एवं खनिज	1.80
कोयला	673.45
सोना एवं चाँदी	14963.59
खाद्य तेल	517.31
दालें	445.15
खनिज एवं लौह	50.76
उर्वरक	2208.03
क्रूड ऑयल	12.93
जई	0.61
उपभोक्ता का सामान	0.64
बादाम/काजू	19.00
तटेतर व्यापार	0.78
संरचना सामग्री	15.18
योग	**18938.23**

निर्यातों की संरचना 2010–11

₹ 20 लाख (पोत पर्यन्त निःशुल्क) और अधिक मूल्य की मदें

वस्तु	देश	मूल्य (₹ लाख में) पोतपर्यन्त निःशुल्क
लौह अयस्क	संयुक्त अरब अमीरात	482.10
	चीन	9,412.30
	हांग–कॉंग	1,543.23
	उपयोग	**11,437.63**
शीरा	थाईलैंड	1,572.14
	कोरिया	857.48
	फ्रांस	294.68
	नीदरलैंड	338.99
	उपयोग	**3,063.29**
मक्का	इंडोनेशिया	1,064.82
	वियतनाम	3,084.04
	मलेशिया	2,142.74
	दुबई	360.59
	उपयोग	**6,652.19**
चाय	मिस्र	193.03
अरण्डी का तेल	फ्रांस	8,010.69
	नीदरलैंड	1,029.52
	चीन	151.32
	उपयोग	**9,191.53**
सीसेम के बीज	वियतनाम	108.25
कपड़ा एवं सिले–सिलाए वस्त्र आदि	बोस्निया और हेर्जेगोविना	164.37
एच आर कॉयल्स	केनया	649.37
	तटेतर	296.45
	उपयोग	**945.82**

वस्तु	देश	मूल्य (₹ लाख में) पोतपर्यन्त निःशुल्क
लुब्रीकेन्टस	म्यांमार	86.64
स्टील की स्लैब	फिलिपीन्स	13,857.45
टाटा की एम्बुलेंस	बेनिन गणराज्य	463.99
औषधियां	बुरून्डी	111.64
	जेदा, सऊदी अरब	92.86
	Sao Tome & Principe	33.99
	उपयोग	**238.49**
	महायोग	**46,402.67**

आयातों की संरचना 2010–11

₹ 20 लाख (लागत बीमा भाड़ा) और अधिक मूल्य की मदें

वस्तु	देश	मूल्य (₹ लाख में) पोतपर्यन्त निःशुल्क
चीनी	ब्राजील, थाईलैंड, लंदन, स्विटजरलैंड	*******
धातु	कोरिया	185.44
बिटुमन	संयुक्त अरब अमीरात	188.62
सोना	संयुक्त अरब अमीरात	556,811.20
	स्विटजरलैंड	308,212.89
	संयुक्त राज्य अमरीका	8,635.10
	आस्ट्रेलिया	23,583.57
	लंदन	390,075.04
	उपयोग	**1,287,691.86**
चाँदी	दुबई	73,946.87
	लंदन	56,458.33
	संयुक्त राज्य अमरीका	20,026.66
	स्विटजरलैंड	33,561.92
	उपयोग	**183,993.78**
खाद्य तेल	सिंगापुर, मलेशिया	23,856.65
	इंडोनेशिया	23,846.90
	अर्जेंटीना	5,193.33
	यूक्रेन	5,884.60
	उपयोग	**58,781.48**
दालें	म्यांमार/कनाडा	******
	म्यांमार	6,530.80
	आस्ट्रेलिया	640.97
	सिंगापुर/कनाडा	31,352.32
	उपयोग	**38,524.09**

वस्तु	देश	मूल्य (₹ लाख में) पोतपर्यन्त निःशुल्क
कोयला	इंडोनेशिया	112,627.72
खनिज एवं अयस्क	*******	******
यूरिया	रूस	200.48
	चीन	125,026.36
	यूक्रेन	12,342.01
	ओमान	5,923.07
	ईरान	57,685.36
	इंडोनेशिया	15,826.25
	दुबई	3,455.33
	उपयोग	**220,458.86**
क्रूड ऑयल	दुबई	850.62
मक्का	अर्जेंटीना	323.30
काजू	तंजानिया	1,699.40
पैट बोतल स्क्रैप	दुबई	64.51
बादाम का छिलका	संयुक्त राज्य अमरीका	196.79
तटेतर	-	77.67
जई	आस्ट्रेलिया	77.97
उपकरण/उपस्कर	ऑस्ट्रीया	118.29
	सिंगापुर	70.98
	जर्मनी	545.00
	स्विटजरलैंड	576.61
	संयुक्त राज्य अमरीका	129.09
	कोलम्बो	25.43
	उपयोग	**1,465.40**
	महायोग	**1,907,207.51**